Result Mitra Daily Magazine

चार धाम प्रोजेक्ट

हालिया संदर्भ :

- आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, सीमा सडक संगठन (BRO) ने उत्तराखंड वन विभाग एवं जलवायु-परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय से कहा है कि गंगोत्री-धरासू मार्ग पर चारधाम सडक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) या पर्यावरण मंजूरी (EC) की जरूरत नहीं है।
- BRO की यह सबमिशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के विपरीत है

क्या है मामला :

- गंगोत्री-धरासू मार्ग भागीरथी इको सेंसेटिव जोन (BESZ) में आता है।
- जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट को पेश किए अपने रिपोर्ट में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) ने कहा था कि BESZ में सडक चौडीकरण केवल विस्तृत EIA के बाद ही किया जाना चाहिए।
- BRO वर्तमान में गंगोत्री-धरासू मार्ग पर नेताला बाईपास परियोजना के लिये 17.5 हेक्टेयर वन भूमि मांग रहा है, जिसे पूर्व में HPC ने खारिज कर दिया था।
- इसके जवाब में कि क्या BESZ में बाईपास के लिये EIA की जरूरत है कि नहीं, BRO ने कहा कि चूँकि पूर्व में तेजी से पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) किया जा चुका है, इसलिये अब इसकी जरूरत नहीं है।

HPC का जवाब :

- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, जो HPC एवं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा कि HPC को BESZ में सडक चौडीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
- पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि वह मुद्दे पर विचार करेगा कि परियोजना के लिये EIA और EC की आवश्यकता है या नहीं।

BESZ :

- यह गौमुख एवं उत्तरकाशी के बीच 4157km^2 का विस्तार है।
- इस क्षेत्र को गंगा नदी की पारिस्थतिकी,पर्यावरण प्रवाह एवं इसके उद्गम के पास जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा के लिये वर्ष 2012 में अधिसूचित किया गया था।
- जून 2024 में BESZ निगरानी समिति ने चारधाम परियोजना के भेजी थी।

तर्क-वितर्क :

- BRO ने NH-34 के उत्तरकाशी-गंगोत्री खंड पर नेताला बाईपास परियोजना का प्रस्ताव इस आधार पर दिया है कि मौजूदा एक सक्रिय-भूस्खलन क्षेत्र है।
- HPC ने सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की थी कि भूवैज्ञानिक कमजोरियों एवं नाजुक परिस्थितियों सहित स्थानीय लोगों द्वारा किये जा रहे विरोध के कारण इस प्रस्ताव को BRO को त्याग देना चाहिये।

चारधाम प्रोजेक्ट :

- फरवरी 2018 में परियोजना को मंजूरी,
- दिसम्बर 2016 में नींव रखते हुए PM मोदी ने इस परियोजना को उत्तराखंड मे बाढ में डूबे लोगों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया था।
- कुल लागत 1384 करोड रूपए,
- दिसंबर 2024 तक परियोजना पूरी हो जाने की नियत तारीख,
- 889km की कुल लम्बाई वाले इस परियोजना की 601km का कार्य दिसम्बर 2023 तक पूर्ण हो चुका है।
- इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ-स्थलों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री को जोडा जाएगा।

Result Mitra

चार धाम NH :

- 889 km लंबे NH (2 Lane) का निर्माण,
- NH की न्यूनतम चौडाई 10m होगी,
- यह NH दक्षिण में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे एवं उत्तर में भारत-चीन बॉर्डर रोड से मिलता है।
- इस परियोजना में 4.531km लंबे सिल्कधारा सुरंग का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो Two-lane एवं द्वि-दिशीय यानि Bi-dimensional होगा।
- इसके साथ चारधाम रेल प्रोजेक्ट भी है, जो तीर्थयात्रियों के यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से है।

चार धाम मार्ग :

- ऋषिकेश-धरासू-यमुनोत्री (कुल 239 km)
- ऋषिकेश-धरासू-गंगोत्री (कुल 268 km)
- ऋषिकेश-रूद्रप्रयाग-केदारनाथ (कुल 216 km)
- ऋषिकेश-रूद्रप्रयाग-बद्रीनाथ (कुल 300 km)
    - Note :- यह परियोजना टनकपुर-पिथौरागढ (कुल लंबाई 150km) को भी जोडेगा, जो तीर्थ-स्थलों एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर 900km लंबे NH को भी चौडा करेगा।

महत्व :

- चारधाम के लिये कनेक्टिविटी में सुधार लाना,
- तीर्थयात्रियों के लिये तीव्र, सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण,
    - Note :- यह परियोजना भारत-चीन सीमा को मेरठ एवं देहरादून में स्थित भारतीय सेना के कैंपों तक जाती है, जो मिसाइल बेस होने के साथ-साथ भारी अत्याधुनिक हथियारों का केन्द्र है।
- कार्यान्वयन एजेंसी :
- उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग,
- BRO
- राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानि NHIDCL

Result Mitra TM

इको सेंसेटिव जोन (ESZ) :

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना में निर्धारित किया गया था कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10km के रेंज में आने वाले क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील जोन (ESZ) घोषित करना चाहिए।
- उपरोक्त प्रावधान पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986 के तहत किया जाता है।
- इसके अलावा अगर केन्द्र सरकार चाहे तो निर्धारित 10km की सीमा के बाद वाले क्षेत्र को वह ESZ के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
- इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, जलविद्युत परियोजनाएं एवं लकडी के व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा होता है।
- पेडों की कटाई, होटल आदि का निर्माण, प्राकृतिक जल का व्यवसायिक उपयोग एवं कृषि प्रणाली मे तीव्र परिवर्तन आदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा विनियमित होती है।
- जैविक कृषि, जल संचयन (वर्षा-जल), नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग, हरित प्रौद्योगिकी आदि को अपनाना जैसे कार्यों के लिये पूर्ण अनुमति प्राप्त होती है।
- यह क्षेत्र इन सीटू (स्व-स्थाने) संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इन-सीटू संरक्षण में जीव/पौधे की प्रजातियों को उसके वास्तविक आवास क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है।

पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) :

- जब भी किसी संवेदनशील क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधि को चालू किया जाता है तो उससे पूर्व संबंधित प्राधिकरण से चालू किया जाता है तो उससे पूर्व संबंधित प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- EC देने से पूर्व संबंधित प्राधिकरण उस गतिविधि के पर्यावरण पर संभावित रूप से पडने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधित राज्य/UT के द्वारा किया जाता है।

विकासात्मक कार्यों का वर्गीकरण :

- विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को A, B1 और B2 में वगीकृत किया जाता है।
- A समूह में बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों का निर्माण, परमाणु-शक्ति से संबंधित परियोजना, व्यक्तिगत परियोजना या नव-निर्माण कार्य या धातु-शोधन उद्योग आदि शामिल होते हैं।

Result Mitra

- A समूह में शामिल कार्यों के लिये पर्यावरण स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
- B1 समूह वाले कार्यों के लिये संबंधित राज्य/UT के पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है।
- B2 श्रेणी वाले कार्यों को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, लेकिन उन्हें अगर मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाये तो ऐसा आवश्यक होता है।

BRO :

- 7 मई 1960 में स्थापित,
- शुरूआत में केवल 2 प्रोजेक्ट टस्कर (अब वर्त्तक) एवं प्रोजेक्ट बीकन के क्रियान्वयन के लिये स्थापित,
- वर्तमान में BRO 11 राज्यों एवं 3 UT, में कई परियोजनाएं एक साथ चला रहा है।
- बेहद ऊँचाई, दुर्गम एवं बर्फीले वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा (पुल, सडक, सुरंग) निर्माण के लिये अग्रणी एजेंसी,
- यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन एजेंसी, जिसका प्रमुख कार्य सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचों का निर्माण करना है।

सबसे ऊँची सुरंग :

- BRO जल्द ही विश्व के सबसे ऊँचे सुरंग के निर्माण के लिये कार्य शुरू करेगा।
- 4.10 km लंबे इस सुरंग का नाम 'शिनकुन-ला' है, जो 16000 फीट ऊँचाई पर अवस्थित है।
- यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति से लद्दाख के गास्कर मार्ग पर होगा।
- अब तक सबसे ऊँची सुरंग चीन का मिला सुरंग (15590 फीट) है।

बद्रीनाथ मंदिर :

- गढवाल पहाडी में चमोली जिले में अलकनंदा नदी किनारे स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर,
- चरम मौसमी परिस्थितियों के कारण वर्ष में 6 महीने (अप्रैल-नवम्बर) के लिये ही खुला रहता है।

Result Mitra

केदारनाथ :

- 12 ज्योतिर्लिंगों मे से एक,
- रूद्रप्रयाग जिले में स्थित
- पांडवों को इस मंदिर का निर्माता माना जाता है।

यमुनोत्री :

- उत्तरकाशी जिले में समुद्रतल से 3235 मी. ऊँचाई पर स्थित,
- बंदरपूँछ चोटी (ग्लेशियर) से यमुना का उद्गम,

गंगोत्री :

- उत्तरकाशी जिले में स्थित,
- भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है, का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख में होता है।

Result Mitra